

# हमारा प्रदर्शन, करे खुशियों को रोशन



**अब तक की सर्वाधिक कुल आय 59,247.84 करोड़**

**अब तक का सर्वाधिक उत्पादन 220,536 मिलियन यूनिट्स**

**अब तक का सर्वाधिक कर पश्चात् लाभ 9,102.59 करोड़**

**देश के हर तीसरे बल्ब को करे रोशन**

## 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

क्र.सं.	विवरण	एकल				समेकित	
		31.03.2011 को समाप्त तिमाही (अ-लेखापरीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त तिमाही (अ-लेखापरीक्षित)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(क) निवल बिक्री (विद्युत शुल्क घटाकर) (ख) अन्य प्रचालन आय (ग) मूल्यहास वापसी (निवल) और मूल्यहास के लिए अग्रिम जिसे पूर्व अवधि की बिक्री के रूप में मान्यता दी गई	1551894 45867 191	1235339 37815 (1360)	5487400 164524 184054	4632259 171566 (1655)	5741846 193224 189821	4825645 193224 (2542)
2	<b>कुल (क+ख+ग)</b> व्यय (क) ईंधन लागत (ख) कर्मचारी लागत (ग) मूल्यहास (घ) अन्य व्यय (ङ) प्रावधान	<b>1597952</b> - 972556 70819 69814 98247 28398	<b>1271794</b> - 834598 74561 73216 57316 930	<b>5835978</b> - 3537378 278971 248569 284783 155215	<b>4820477</b> - 2946274 241236 265006 199965 1090	<b>6103233</b> - 3641435 292226 271969 341212 155277	<b>5016327</b> - 3018766 252309 289438 243333 1235
3	<b>कुल (क+ख+ग+घ+ङ)</b> अन्य आय, ब्याज और असाधारण मदों से पहले प्रचालनों से लाभ (1-2)	<b>1239834</b> 358118 20556	<b>1040621</b> 231173 24950	<b>4504916</b> 1331062 88806	<b>3653571</b> 1166906 102533	<b>4702119</b> 1211246 87406	<b>3805081</b> 1211246 101483
4	अन्य आय	20556	24950	88806	102533	87406	101483
5	ब्याज और असाधारण मदों से पूर्व लाभ (3+4)	378674	256123	1419868	1269439	1488520	1312729
6	ब्याज एवं वित्तीय प्रसार	52995	48179	214908	180893	249287	207818
7	ब्याज पश्चात् लेकिन असाधारण मदों से पूर्व लाभ (5-6)	325679	207944	1204960	1088546	1239233	1104911
8	असाधारण मदें	-	-	-	-	-	-
9	<b>कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से लाभ (+)/हानि (-) (7+8)</b>	<b>325679</b>	<b>207944</b>	<b>1204960</b>	<b>1088546</b>	<b>1239233</b>	<b>1104911</b>
10	कर व्यय: (क) चालू कर (ख) आस्थगित कर (ग) क्रिज लाम कर (एफबीटी) कुल (क+ख+ग) घटाए: वसूली योग्य / (मुगदान योग्य) आस्थगित कर निर्माण के दौरान व्यय/कोयला खदान के विकास को हस्तांतरित एफ बी टी कर व्यय (निवल)	61632 (14137) - 47495	(9762) 15941 - 6179	255332 39369 - 294701	194544 20913 269 215726	260216 44194 0 304410	197908 22963 270 221141
11	<b>कर पश्चात् सामान्य गतिविधियों से निवल लाभ (+)/हानि (-) (9-10)</b>	<b>278184</b>	<b>201765</b>	<b>910259</b>	<b>878220</b>	<b>934823</b>	<b>883765</b>
12	असाधारण मदें (कर व्यय हटाकर)	-	-	-	-	-	-
13	<b>अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हिस्से के पूर्व वर्ष का निवल लाभ (+)/हानि (-) (11-12)</b>	<b>278184</b>	<b>201765</b>	<b>910259</b>	<b>878220</b>	<b>934823</b>	<b>883765</b>
14	समेकित लाभ में अल्पसंख्यक शेयरधारकों का हिस्सा	-	-	-	-	(517)	(3)
15	<b>अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हिस्से के पश्चात् वर्ष का निवल लाभ (+)/हानि (-) (13-14)</b>	<b>278184</b>	<b>201765</b>	<b>910259</b>	<b>878220</b>	<b>935340</b>	<b>883768</b>
16	चुक्ता इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य प्रत्येक रु. 10/-)	824546	824546	824546	824546	824546	824546
17	चुक्ता ऋण पूंजी	5964679	5964679	5419196	5419196	6013910	5437182
18	तुलन पत्र के अनुसार पुनः मूल्यांकित प्रारक्षित निधियों को छोड़कर प्रारक्षित निधियाँ	-	-	223166	198672	-	-
19	ऋण पत्र प्रारक्षित निधि	-	-	-	-	-	-
20	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस - ₹ में) (क) असाधारण मदों के पूर्व का मूल एवं मिश्रित ईपीएस (अ-वर्षाधिकृत) (ख) असाधारण मदों के पश्चात् का मूल एवं मिश्रित ईपीएस (अ-वर्षाधिकृत)	3.37 3.37	2.45 2.45	11.04 11.04	10.59 10.59	11.34 11.34	10.72 10.72
21	ऋण इक्विटी अनुपात	-	-	0.64	0.61	-	-
22	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर)	-	-	2.57	3.92	-	-
23	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात (आईएससीआर)	-	-	11.42	13.64	-	-
24	सार्वजनिक शेयरधारिता (क) शेयरों की संख्या (ख) शेयरधारिता का प्रतिशत	1278103220 15.50	1278103220 15.50	1278103220 15.50	1278103220 15.50	1278103220 15.50	1278103220 15.50
25	<b>प्रवर्तकों एवं प्रवर्तक समूह शेयरधारिता</b> क) प्रतिभूत / ऋणग्रस्त - शेयरों की संख्या - शेयरों का प्रतिशत (प्रवर्तकों एवं प्रवर्तक समूह की कुल शेयरधारिता के % के रूप में) - शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की कुल शेयर पूंजी के % के रूप में) (ख) गैर-ऋणग्रस्त - शेयरों की संख्या - शेयरों का प्रतिशत (प्रवर्तकों एवं प्रवर्तक समूह की कुल शेयरधारिता के % के रूप में) - शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की कुल शेयर पूंजी के % के रूप में)	- - - 6967361180	- - - 6967361180	- - - 6967361180	- - - 6967361180	- - - 6967361180	- - - 6967361180

## 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खंडवार राजस्व, परिणाम एवं निवेशित पूंजी का विवरण

क्र.सं.	विवरण	एकल				समेकित	
		31.03.2011 को समाप्त तिमाही (अ-लेखापरीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त तिमाही (अ-लेखापरीक्षित)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>खंड राजस्व (निवल बिक्री)</b> - उत्पादन - अन्य - कुल	1547114 4780 <b>1551894</b>	1230529 4810 <b>1235339</b>	5470455 16945 <b>5487400</b>	4616867 15392 <b>4632259</b>	5683996 57850 <b>5741846</b>	4774991 50654 <b>4825645</b>
2	<b>खंड परिणाम (कर एवं ब्याज पूर्व लाभ)</b> - उत्पादन - अन्य - कुल घटाए: (i) अनावटित ब्याज एवं वित्त प्रसार (ii) अनावटित आय को घटाकर अन्य अनावटित व्यय कर पूर्व कुल लाभ	327128 762 <b>327890</b>	197550 1664 <b>199214</b>	1209483 5020 <b>1214503</b>	1015253 5816 <b>1021069</b>	1267669 13598 <b>1281267</b>	1049376 16085 <b>1065461</b>
3	<b>निवेशित पूंजी (खंड परिसंपत्तियों—खंड देयताएं)</b> - उत्पादन - अन्य - अनावटित - कुल	36450 (34239) <b>325679</b>	28584 (37314) <b>207944</b>	143284 (133741) <b>1204960</b>	111682 (179159) <b>1088546</b>	174059 (132025) <b>1239233</b>	138312 (177762) <b>1104911</b>
4	अनावटित ब्याज एवं वित्त प्रसार	36450	28584	143284	111682	174059	138312
5	अनावटित आय को घटाकर अन्य अनावटित व्यय	(34239)	(37314)	(133741)	(179159)	(132025)	(177762)
6	कर पूर्व कुल लाभ	325679	207944	1204960	1088546	1239233	1104911
7	उत्पादन	4526023	3945020	4526023	3945020	5050764	4346095
8	अन्य	425	5445	425	5445	29635	33623
9	अनावटित	2262777	2293277	2262777	2293277	1758057	1882010
10	कुल	6789225	6243742	6789225	6243742	6838456	6261728

कम्पनी के कार्यों का प्रचालन मुख्यतः देश में ही किया जाता है और इसलिए भौगोलिक खण्ड लागू नहीं है।

क्र.सं.	विवरण	स्वामित्व (%)	क्र.सं.	विवरण	स्वामित्व (%)
1	क) सहायक कंपनियों		5	ख) संयुक्त उपक्रम कंपनियाँ	
1	एनटीपीसी इलेक्ट्रिकल्स सप्लाय कंपनी लि. (इसकी संयुक्त उपक्रम कंपनी किनेस्को पावर एंड यूटिलिटीज प्रा. लि.* 50% धारिता सहित)	100	5	अरावली पावर कंपनी प्रा. लि.	50
2	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.	100	6	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्रा. लि.	30.17
3	एनटीपीसी हाइड्रो लि.	100	7	मेजा ऊर्जा निगम प्रा. लि.	50
4	कोटी बिजली उत्पादन निगम लि.	64.57	8	एनटीपीसी-मेल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि.	50
5	भारतीय रेल बिजली कंपनी लि.	74	9	बीएफ-एनटीपीसी एनर्जी सिस्टम्स लि.*	49
ख) संयुक्त उपक्रम कंपनियाँ			10	नवीनगर पावर जनरेशन कंपनी प्रा. लि.	50
1	यूटिलिटी पावरस्टेक लि.	50	11	नैशनल पावर एक्सचेंज लि.	16.67
2	एनटीपीसी एलस्टोम पावर सर्विसेज प्रा. लि.	50	12	एनटीपीसी-एससीसीएल ग्लोबल वेंचर्स प्रा. लि.	50
3	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी प्रा. लि.*	50	13	इन्टरनेशनल कोल वेंचर्स प्रा. लि.*	14.28
4	एनटीपीसी-तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लि.*	50	14	ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स केरल लि.*	44.6
			15	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि.*	25
			16	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्रा. लि.*	25
			17	सीआईएल-एनटीपीसी ऊर्जा प्रा. लि.*	50

उपर्युक्त सभी कम्पनियाँ भारत में नियमित हैं। \* वित्तीय विवरण अ-लेखापरीक्षित हैं।

- 2 क) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने जनवरी 2009 में विनियमन, 2009 को अधिसूचित किया जिसमें 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी 5 वर्ष की अवधि के लिए शुल्क दर निर्धारण संबंधी नियम एवं शर्तें हैं। सीईआरसी द्वारा केंद्रीय शुल्क दर निर्धारण लंबित रहने के मद्देनजर 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान तात्कालिक रूप से ₹ 48,93,531 लाख की बिक्री मान ली गई है (पूर्व वर्ष में ₹ 44,47,393 लाख) जो की पूंजी लागत पर उचित विनियमन में उच्चरित सिद्धांतों और अपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (एपीटीईएल) के शुल्क दर अवधि 2004-2009 के आदेशों के आधार पर है, जिसका संदर्भ अनुच्छेद 2 (घ) में सम्मिलित किया गया है।
- विनियमन, 2009 में प्राक्कान है कि सीईआरसी द्वारा शुल्क दर निर्धारण लंबित रहने के दौरान कम्पनी द्वारा लामार्थियों को तात्कालिक बिलिंग की जा सकती है जो सीईआरसी द्वारा 31 मार्च 2009 को लागू शुल्क दर के अनुसार होगी। इस आधार पर 31 मार्च 2011 को तात्कालिक बिलिंग की राशि ₹ 47,51,921 लाख है (पूर्व वर्ष में ₹ 43,76,513 लाख)।
- ख) 1 अप्रैल 2009 के पश्चात् उत्पादन के लिए निर्मित हुई इकाइयों के लिए सीईआरसी द्वारा शुल्क दर निर्धारण लंबित होने तक, बिक्री को विनियमन, 2009 में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर तात्कालिक रूप से ₹ 4,52,839 लाख मान लिया गया है (पूर्व वर्ष में ₹ 1,73,540 लाख)। ऐसी इकाइयों के लिए ₹ 4,41,612 लाख की तात्कालिक बिलिंग की गई है (पूर्व वर्ष में ₹ 1,53,650 लाख)।
- ग) सीईआरसी / एपीटीईएल द्वारा जारी आदेशों के आधार पर पूर्व वर्षों से संबंधित ₹ 80,087 लाख (पूर्व वर्ष में ₹ 11,933 लाख) की बिक्री को मान्यता दी गई है।
- घ) जिन केंद्रों / इकाइयों के लिए 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2009 के लिए सीईआरसी द्वारा शुल्क दर आदेश जारी किए गए उनसे संबंध कम्पनी को कई मुद्दों, जिन पर सीईआरसी ने अपने शुल्क दर आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के लंबित रहने तक देनदारी में सम्मिलित ₹ 1,26,286 लाख का इस वर्ष में पूरा प्राक्कान कर दिया है। यदि कोई प्रभाव पड़ता है तो उसे अपील पर सुनवाई के बाद वित्तीय विवरणों में दर्ज कर दिया जाएगा।
- ङ) सीईआरसी द्वारा जारी किए गए अतिरिक्त पूंजीकरण आदेशों के कारण आगामी वर्षों में चार्ज की जाने वाली मूल्यहास घटक की कमी को पूरा करने के लिए वांछित मूल्यहास अग्रिम राशि की पुनर्गणना की गई एवं ₹ 7,975 लाख की अतिरिक्त राशि को बिक्री के रूप में दर्शाया गया है।
- च) इस वर्ष के दौरान सीईआरसी ने एपीटीईएल के निर्णय के अनुपालनाथ कुछ स्टेशनों के टैरिफ आदेश, जिसका उल्लेख उपरोक्त अनुच्छेद (घ) में किया गया है, जारी किए एवं लामार्थियों को उसके अनुसार बिलिंग की गई। क्योंकि सीईआरसी के आदेशों में वो विषय शामिल हैं, जिन्हें उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है एवं जिसका अभी निपटारा होना है तथा उसके प्रभाव ₹ 25,222 लाख, को लामार्थियों से अग्रिम के तौर पर मान्यता दी गई है।
- 3 बिक्री में सीईआरसी विनियमन, 2004 के अनुसार ग्राहकों से प्राप्त आय कर के मद में ₹ 33,851 लाख (पूर्व वर्ष में ₹ 71,993 लाख) और सीईआरसी विनियमन, 2009 के अनुसार ग्राहकों से प्राय आस्थगित कर के मद में ₹ 2,172 लाख (पूर्व वर्ष में ₹ 24,847 लाख) शामिल हैं।
- 4 सीईआरसी ने 3 सितम्बर 2010 को प्रारूप अधिसूचना जारी की जिसके अनुसार पूंजी लागत से संबंधित अमुक्त देनदारियों को, जिन्हें सीईआरसी ने 1 अप्रैल 2009 से पहले स्वीकार कर लिया था, अग्रिम वास्तविक रूप में मान्यता देनी होगी। अंतिम अधिसूचना की प्रव्याशा में ₹ 26,359 लाख की अनुमानित राशि का शुल्क समायोजन के रूप में प्राक्कान किया गया।
- 5 कथित वर्ष के लिए चालू कर प्राक्कान में पूर्व वर्षों से संबंधित ₹ 5,602 लाख का कर है (पूर्व वर्ष में ₹ 5,24,540 लाख)।
- 6 वर्ष 2010-11 के दौरान कम्पनी की दायरी स्थित 490 मेगावाट की एक इकाई और कोयला स्थित 500 मेगावाट की एक इकाई को क्रमशः 31 जुलाई 2010 और 21 मार्च 2011 को व्यावसायिक घोषित कर दिया गया है।
- 7 लेखा नीतियों में परिवर्तन के प्रभावः
- क) वर्ष के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि लेखों में उत्पादन परिसम्पत्तियों के मूल्यहास का प्राक्कान करने के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरों का विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए न कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार निर्धारित दरों का। तदनुसार कम्पनी ने विनियमन 2009 के माध्यम से शुल्क निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अनिसूचित दरों एवं पद्धतियों का विचार करते हुए मूल्यहास को चार्ज करने से संबंधित अपनी लेखा नीतियों को 1 अप्रैल, 2009 से संशोधित किया है। कम्पनी कुछ परिसंपत्तियों के लामात्र जीवन के तनवीर की आकलन के आधार पर उच्च दरों पर मूल्यहास कर रही है। इस परिवर्तन के कारण पूर्व अवधि का मूल्यहास वापसी ₹ 1,11,650 लाख, मूल्यहास ₹ 27,962 लाख कम है जिसके कारण वर्ष के लिए अग्रिम परिसम्पत्तियाँ एवं कर पूर्व लाभ ₹ 1,39,612 लाख अधिक है।
- ख) उपरोक्त परिवर्तन के कारण आगामी वर्षों में चार्ज की जाने वाली मूल्यहास पर राजस्व में मूल्यहास के घटक में कमी को पूरा करने के लिए वांछित मूल्यहास के लिए अग्रिम की राशि (एपीडी) की 1 अप्रैल, 2009 की तिथि को स्टेशन-वार पुनर्गणना की गई है तथा ₹ 72,749 लाख की अधिक राशि की पहचान पूर्व अवधि की बिक्री के रूप में की गई है।
- इसके अलावा लामार्थियों से वसूला जाने वाला आस्थगित कर, जो वित्तीय वर्ष 2009-10 में कार्यान्वित हुआ, का पुनर्मूल्यांकन किया गया एवं ₹ 21,267 लाख की अतिरिक्त राशि को पूर्व वर्षों की बिक्री के रूप में वापिस दर्शाया गया एवं पूर्व वर्षों के कर प्राक्कान की समराशि को लाम और हानि लेखा से घटाया गया।
- घ) उक्त परिवर्तन के कारण आस्थगित कर देयता (निवल) और लामार्थियों से वसूले जाने वाला आस्थगित कर जो कि 31 मार्च 2010 को ₹ 3,04,941 लाख तथा ₹ 2,84,016 लाख क्रमशः को समीक्षित किया और ₹ 4,41,519 लाख तथा ₹ 3,80,969 लाख क्रमशः पुनः निश्चित किया। परिणाम स्वरूप 31.03.2010 को आस्थगित कर देयता में ₹ 1,36,578 लाख की वृद्धि हुई जिसमें ₹ 96,953 लाख जोकि विनियमन 2009 के विनियमन 39 के अनुसार लामार्थियों से वसूले जाने योग्य है तथा निवल वृद्धि को आस्थगित कर प्राक्कान में डेबिट कर दिया गया है।
- 8 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने कम्पनी को दिनांक 24.12.2010 को अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उत्तराखंड में कम्पनी की एक पन बिजली परियोजना को बन्द कर दिया जाए, तदनुसार कम्पनी ने परियोजना से जुड़े आपूर्तिकर्ताओं / विक्रेताओं को निष्कलता पत्र जारी कर दिए हैं।
- विद्युत मंत्रालय ने परियोजना पर हुए खर्च, प्रतिबद्धता खर्च, सुरक्षा और स्थिरिकरण उपायों पर अपेक्षित खर्च, कार्यस्थल पर अन्य पुनरावर्ती खर्च, ब्याज लागत तथा विभिन्न संकुल के ठेकेदारों और विक्रेताओं के दावों का व्यौरा मांगा है। प्रबंधन को आशा है कि परियोजना पर कुल खर्च, सुरक्षा और स्थिरिकरण उपायों पर खर्च, कार्यस्थल पर अन्य पुनरावर्ती खर्च, ब्याज लागत तथा विभिन्न संकुल के ठेकेदारों और विक्रेताओं के दावों की पूर्ण प्रतिपूर्ति हो जाएगी। अतः 31.03.2011 तक परियोजना पर खर्च हुई ₹ 74,882 लाख की राशि को भारत सरकार से प्राय दिखाया गया है।
- 9 कम्पनी एक ताप विद्युत परियोजना लगा रही है जिसके लिए 1,489 एकड़ जमीन के अधिग्रहण (पूर्व वर्ष 1,489 एकड़) का प्रमाण पत्र कम्पनी को सौंप दिया गया है और सांविधिक एवं पर्यावरण संबंधी सभी अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं। इसके उपरान्त भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया ताकि परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थान की तलाश की जा सके चूंकि मौजूदा स्थान कोयला उत्पादन क्षेत्र पर स्थित है। अग्रिम परिसंपत्तियों में 31 मार्च 2011 तक कुल ₹ 19,019 लाख की लागत सम्मिलित है (पूर्व वर्ष में ₹ 18,310 लाख)। प्रबंधन को विश्वास है, कि व्यय की प्रतिपूर्ति हो जाएगी, इसलिए कोई प्राक्कान नहीं किया गया है।
- 10 इस तिमाही में कम्पनी ने वर्ष 2010-11 के लिए प्रति शेयर ₹ 3.00 (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) अंतरिम लामांश का मुगदान किया। निदेशक मंडल ने प्रति शेयर ₹ 0.80 (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) अंतिम लामांश देने की सिफारिश की। वित्त वर्ष 2010-11 के लिए प्रति शेयर कुल लामांश ₹ 3.80 (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) है जिसमें अंतरिम लामांश शामिल है।
- 11 लेखापरीक्षित खातों कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा समीक्षा अधीनस्थ है।
- 12 समावेश अनुपात की गणना लिए प्रयुक्त सूत्र डीएससीआर = ब्याज, मूल्य हास और कर पूर्व आय / (निर्माण के दौरान व्यय मद में दर्ज निवल ब्याज)  
मूल्य हास और कर पूर्व आय / (निर्माण के दौरान व्यय मद में दर्ज निवल ब्याज)
- 13 सूचीयन समझौता की धारा 41 के अनुसार 31 मार्च 2011 को समाप्त तिमाही के लिए निवेशकों की शिकायत संबंधी सूचना।

	अर्थ शेष	वृद्धियाँ	निपटान	इतिशेष
शिकायतों की संख्या	8	1813	1809	12

- 14 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षण समिति द्वारा 10 मई 2011 को आयोजित बैठक में उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा की गई और उसी दिनांक बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।
- 15 पूर्व वर्षों के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्वर्गीकृत / पुनर्समायोजित कर दिया गया है।

## 31 मार्च 2011 की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का सारांश

विवरण	एकल		समेकित	
	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
<b>निधियों के स्रोत</b>				
शेयरधारकों की निधियाँ :				
(क) पूंजी	824546	824546	824546	824546
(ख) प्रारक्षित एवं अधिशेष	5964679	5419196	6013910	5437182
अग्रिम मूल्य हास से आस्थगित राजस्व	79205	161084	79205	161084